

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
30प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 17 अगस्त, 2015

विषय:-कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना हेतु बैंक ऋण पर 05 वर्ष तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की योजना।
महोदय,

प्रदेश में पशुओं की नस्ल में सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि हेतु उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की गाइड-लाइन के तहत गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति" द्वारा दिनांक 31.05.2013 को "कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना (100 दुधारू गायों/भैंसों) " योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्क्रम में कामधेनु डेयरी इकाईयों की ब्याज मुक्त ऋण योजना की स्थापना विषयक शासनादेश संख्या-2416/सैंतीस-2-2013-1(67)/2012, दिनांक 27.06.2013 निर्गत किया गया। छोटे पशुपालकों की आवश्यकता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-4226/सैंतीस-2-2013-1(22)/2013 दिनांक 14.11.2013 से "मिनी कामधेनु डेयरी इकाई (50 दुधारू गायों/भैंसों)" योजना प्रारम्भ की गयी है।

प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी में आते हैं जिनके पास वर्तमान योजनान्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार न तो भूमि उपलब्ध है और न ही वे मार्जिन मनी के रूप में निर्धारित धनराशि का प्रबन्ध कर पाने में समर्थ हैं। अधिकाधिक पशुपालकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में संचालित कामधेनु/मिनी कामधेनु डेयरी इकाईयों के अतिरिक्त 25 पशुओं की माइक्रो कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना की भी योजना प्रारम्भ की गयी है।

2- वर्ष 2013-14 के लक्ष्य को सम्मिलित करते हुये वित्तीय वर्ष 2014-15 में कामधेनु डेयरी योजनान्तर्गत 100 दुधारू गाय/भैंसों की 425 इकाईयां (कुल 42,500 पशु) तथा मिनी कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना अन्तर्गत 50 दुधारू गाय/भैंसों की 2500 इकाईयां (कुल 1,25,000 पशु) स्थापित की जानी थी। बड़ी इकाईयों हेतु निर्धारित संख्या में उपयुक्त लाभार्थी न मिल पाने, अनेक लाभार्थियों द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी जमा न कर पाने व पशुओं की इतनी बड़ी संख्या में उपलब्धता न होने के कारण उत्पन्न समस्या के फलस्वरूप कामधेनु योजना के 425 लक्ष्य से 125 इकाईयों का लक्ष्य (कुल 12,500 पशु) तथा मिनी कामधेनु के 2500 लक्ष्य से 1000 इकाईयों का लक्ष्य (कुल 50,000 पशु) को माइक्रो कामधेनु योजनान्तर्गत 2500 इकाईयों स्थापित करने हेतु उपभोग किया जाएगा, इस प्रकार कामधेनु योजना में 300 इकाईयों, मिनी कामधेनु योजना में 1500 इकाईयों व माइक्रो कामधेनु योजनान्तर्गत 2500 इकाईयों स्थापित करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार वर्ष 2016-17 के अंत तक प्रदेश में 300 कामधेनु इकाईयों, 1500 मिनी कामधेनु इकाईयों व 2500 माइक्रो कामधेनु इकाईयों स्थापित किये जाने की योजना है।

3- कामधेनु योजना (100 दुधारू पशुओं) में एक इकाई की पूर्ण लागत ₹0 121.52 लाख है। इकाई लागत का 25 प्रतिशत (₹0 30.38 लाख) लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (रु0 91.14 लाख) बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। लाभार्थी को 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से 05 वर्षों में अनुमन्य अधिकतम रु0-32.82 लाख व्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 4- मिनी कामधेनु योजना (50 दुधारु पशुओं) में एक इकाई की पूर्ण लागत रु0 50.58 लाख है। इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रु0 12.64 लाख) लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत (रु0 37.94 लाख) बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। लाभार्थी को 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से 05 वर्षों में अनुमन्य अधिकतम रु0-13.66 लाख व्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 5- माइक्रो कामधेनु योजना (25 दुधारु पशुओं) में एक इकाई की पूर्ण लागत रु0 26.99 लाख है। इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रु0 6.74 लाख) लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत (रु0 20.25 लाख) बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। लाभार्थी को 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से 05 वर्षों में अनुमन्य अधिकतम रु0-07.29 लाख व्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 6- योजनान्तर्गत इच्छुक पशुपालकों से विजति के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनके प्रार्थना पत्र ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को प्रेषित किये जायेंगे।
- 7- बैंक से ऋण स्वीकृत होने के पश्चात पशुपालक, बैंक एवं राज्य सरकार (द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी) के बीच विपक्षीय अनुबन्ध किया जायेगा, ताकि पशुपालकों को बैंक से ऋण एवं सरकार से व्याज की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- 8- ऋण स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थी द्वारा पशु बाड़ों का निर्माण कर प्रदेश के बाहर से पशुओं का क्रय किया जायेगा। गायों में केवल संकर जर्सी, संकर एच0एफ0 अथवा साहीवाल नस्ल की गायाँ तथा भैंसों में केवल मुरा नस्ल की भैंसों की खरीद रु0-70,000.00 प्रति पशु की दर से अनुमन्य होगी।
- 9- पूर्व में योजनान्तर्गत कम से कम 12 ली0 प्रतिदिन दूध देने वाली प्रथम अथवा द्वितीय ब्यांत की गायाँ/भैंस की कीमत रु0 70,000.00 प्रति पशु रखी गई थी लेकिन माँग बढ़ जाने के फलस्वरूप इस कीमत पर 12 लीटर वाली मुरा भैंस न मिल पाने के कारण अब योजनान्तर्गत 12 ली0 दूध वाली गायाँ व 10 लीटर दूध देने वाली भैंस रखी जा सकेगी, जिसमें प्रत्येक की कीमत प्रति पशु 70,000 रु0 ही रहेगी। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यही मूल्य समस्त ऐसे लाभार्थियों पर भी प्रभावी होगी, जिनका पूर्व में ऋण स्वीकृत हो चुका है तथा उनके द्वारा पशु क्रय किये जाने अभी अवशेष है।
- 10- पशुपालकों को उनकी माँग पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि किश्तों में अग्रिम रूप से उपलब्ध करायी जायेगी ताकि वे प्रदेश के बाहर से दुधारु पशुओं का क्रय अपनी सुविधानुसार कर सकें। पशुपालकों को अग्रिम धनराशि की अगली किश्त तभी दी जाएगी, जब वे पूर्व अग्रिम धनराशि का उपभोग कर उसका समायोजन बैंकों को उपलब्ध करा देंगे।
- 11- कामधेनु/मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना अन्तर्गत इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या के अनुसार पशु क्रय किया जाना आवश्यक है। पशुओं का क्रय नोडल पशु चिकित्साधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा जिससे रोग रहित निर्धारित मानक के पशु ही क्रय किये जायेंगे। बैंक द्वारा प्रथम किश्त के रूप में पशु क्रय हेतु आधी धनराशि अयमुक्त की जायेगी, प्रथम बार अयमुक्त धनराशि से एक माह की अवधि के अन्दर लाभार्थी द्वारा पशुओं का क्रय किया जायेगा। प्रथम किश्त के रूप में अयमुक्त धनराशि (योजना में पशु क्रय हेतु निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि) के उपयोग के उपरान्त अधिकतम छः माह के अन्दर बैंक द्वारा दूसरी (पशु क्रय की अन्तिम) किश्त अयमुक्त की जायेगी, जिसका उपभोग लाभार्थी द्वारा प्रथम बार के अनुसार एक माह में पूर्ण करना होगा। इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या अधिकतम आठ माह में पूर्ण करना होगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पशुपालक निर्धारित आठ माह की अवधि में इकाई अंतर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारित समस्त पशुओं का क्रय नहीं कर पाता है तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा उन्हें एक माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि लाभार्थी द्वारा इकाई में निर्धारित पशुधन संख्या की पूर्ति नहीं की जाती है, तो इस स्थिति में योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज की प्रतिपूर्ति की सुविधा से लाभार्थी को वंचित कर दिया जायेगा तथा बैंक के ऋण वितरण की प्रथम किश्त की तिथि से प्रदेश सरकार द्वारा जो धनराशि ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए बैंक को दी जा चुकी है, उसकी वसूली पशुपालक से भू-राजस्व के रूप में की जा सकेगी।

12- योजना में पशुपालक को यह भी छूट रहेगी कि वह डेयरी इकाई में समस्त गायें अथवा समस्त भैंसे रख सकता है। पशुपालक गाय एवं भैंसों की मिश्रित डेयरी इकाई भी स्थापित कर सकता है। उक्त मिश्रित डेयरी इकाई में कितनी गायें एवं कितनी भैंसें रखनी हैं, पशुपालक स्वयं निर्धारित करेगा, लेकिन उक्त इकाई में जो गायें रखी जायेंगी, समस्त गायें एक ही प्रजाति की होंगी।

13- उक्त तीनों योजनान्तर्गत योजना लागत के 75 प्रतिशत या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर, जो भी कम हो ऋण अवमुक्त होने के पश्चात ब्याज की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा 05 वर्षों (60 माह) तक की जायेगी। नियमित ऋण अदा न करने पर योजनान्तर्गत प्राविधानित कुल ब्याज की पूर्ति की धनराशि के अतिरिक्त यदि ब्याज पड़ता है, तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

14- योजनान्तर्गत सिर्फ गायों की इकाई स्थापित करने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त रूप से एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। 100, 50 एवं 25 गायों की डेयरी इकाई को स्थापित करने वाले पशुपालक को प्रोत्साहन स्वरूप क्रमशः 5 लाख, 2.5 लाख व 1.25 लाख ₹0 का अनुदान दिया जाएगा, लेकिन यह अतिरिक्त अनुदान उन्हीं पशुपालकों को देय होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्वाधि के अंदर योजनानुसार निर्धारित समस्त गाय क्रय कर लेगा। अनुदान हेतु दी जाने वाली धनराशि पशुपालक के खाते में डाली जायेगी।

15- यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा।

16- सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध की बिक्री ससमय न होने के कारण दूध खराब होने की समस्या के दृष्टिगत कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना अंतर्गत बल्क मिल्क कूलर का प्राविधान भी किया जा रहा है, जो पूर्णतः एच्छक होगा। कामधेनु डेयरी के लिए 1000 लीटर का बल्क मिल्क कूलर एवं मिनी कामधेनु के लिये 500 लीटर क्षमता का बल्क मिल्क कूलर अनुमन्य होगा, जिसकी अधिकतम कीमत क्रमशः ₹0 2.25 लाख ₹0 1.40 लाख अनुमन्य होगी। लाभार्थी को सोलर चालित बी0एम0सी0 स्थापित करने का भी विकल्प होगा। यह भी पूर्णतया एच्छक होगा तथा इसकी कीमत 500 लीटर की क्षमता की अधिकतम कीमत ₹0 8.20 लाख एवं 1000 लीटर की क्षमता की अधिकतम कीमत ₹0-11.75 लाख अनुमन्य होगी, परियोजना की लागत तद् नुसार संशोधित समझी जाएगी।

उक्त तीनों योजनाओं में लाभार्थी को परियोजना लागत की 75 प्रतिशत धनराशि बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, किन्तु 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 05 वर्षों में अनुमन्य अधिकतम ब्याज प्रतिपूर्ति की सीमा माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना में 7.29 लाख, मिनी कामधेनु डेयरी इकाई योजना में ₹0-13.66 लाख एवं कामधेनु डेयरी योजना में ₹0-32.82 लाख ही देय होगी, यदि ब्याज दर उक्त से कम है तो देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, लेकिन प्रतिपूर्ति किसी भी दशा में अधिकतम दर्शाई गई धनराशि से अधिक नहीं होगी।

17- उपरोक्तानुसार योजनाओं के सुचारु रूप से क्रियान्वयन किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीनों योजनाओं हेतु समय सारिणी तैयार कर ली जाय एवं उक्त समय सारिणी के अनुसार तत्काल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अपेक्षित कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।
संलग्नक : तीनों योजनाओं से सम्बन्धित विवरण ।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-58/2015/1985(1)/सैंतीस-2-2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि एवं दुग्ध विकास विभाग ।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 5- महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ ।
- 7- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, मण्डल पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
- 10- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ ।
- 11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(चन्द्र कान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 58/2015/1985/सैतीस-2-1(67)/12, दिनांक 17 अगस्त, 2015
का संलग्नक :-

माइक्रो कामधेनु (25 दुधारु पशुओं गाय/भैसों) डेयरी इकाई की लागत एवं
5 वर्षों में ब्याज की प्रतिपूर्ति का आंकलन :-

पूजीगत व्यय:-

A	पशु क्रय पर व्यय	
1-	25 दुधारु पशुओं (साहिवाल/संकर जर्सी/संकर एचओएफओ गायों/मुर्स भैसों की कीमत रु० 70000-00 प्रति पशु की दर से	रु० 1750000.00
2-	पशु बीमा 3 वर्ष हेतु (सघन मिनी डेरी के अनुसार)	रु० 84000.00
3-	पशु यातायात पर व्यय (रु० 4000.00 प्रति पशु की दर से)	रु० 100000.00
	योग	1934000.00

B	पशु आवास (कैटिल शेड) पर व्यय	
1-	वयस्क पशु हेतु 50 वर्ग फुट प्रति पशु रु० 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से (25 पशुओं के लिए)	रु० 250000.00
2-	हीफर शेड/काफ शेड 30 वर्ग फुट प्रति हीफर रु० 200 प्रति वर्ग फुट की दर से (25 हीफर के लिए)	रु० 150000.00
3-	फीड गोडाउन पालीहाउस (10 X 10 वर्ग फुट) रु० 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु० 20000.00
4-	मिल्क रूम (10X10 वर्ग फुट) रु० 350.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु० 35000.00
5-	चैफ कटर शेड (10 X 10 वर्ग फुट) रु० 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु० 20000.00
6-	कैटिल क्रस शेड	रु० 20000.00
	योग	रु० 495000.00

C	उपकरण	
1-	जेट समरसेविल पम्प	रु० 50000.00
2-	पावर चैफ कटर	रु० 100000.00
3-	मिल्क कॅन्स (40 लीटर के 2 दर रु० 2000 प्रति नग एवं 20 लीटर के 1 दर रु० 1500 प्रति नग	रु० 5500.00
4.	मिल्किंग मशीन-1	रु० 100000.00
5.	मेजरिंग किट-2 एवं मिल्क बकेट-2	रु० 2000.00
6.	कैटिल क्रस	रु० 10000.00
7.	अन्य व्यय	रु० 2500.00
	योग	रु० 270000.00
	इकाई की कुल लागत (A+B+C)	रु० 2699000.00
	लाभार्थी अंश (इकाई लागत का 25 प्रतिशत)	रु० 674750.00
	बैंक लोन (इकाई लागत का 75 प्रतिशत)	रु० 2024250.00
	अर्थात्	रु० 2025000.00

पाँच वर्षों में प्रति यूनिट ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली अनुदानित धनराशि:-

- 1- 25 दुधारू पशुओं की एक यूनिट स्थापित होने में कुल धनराशि ₹0 2699000/- लागत आयेगी। जिसमें लाभार्थी को न्यूनतम 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात् ₹0 674750/- मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं अधिकतम 75 प्रतिशत धनराशि ₹0 2025000/- बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। यदि लाभार्थी 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का ऋण प्राप्त करता है तो योजना लागत के 75 प्रतिशत पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 2- बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति निम्न विवरण अनुसार अनुदान स्वरूप पांच वर्षों (60 माह) में विभाग द्वारा बैंक को दिया जायेगा। यह धनराशि 25 पशुओं की एक यूनिट पर पांच वर्षों (60 माह) में ₹0 729000/- अर्थात् अधिकतम ₹0 7.29 लाख होगी। यदि ब्याज दर उक्त से कम है तो देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी लेकिन प्रतिपूर्ति किसी भी दशा में अधिकतम दर्शाई गई धनराशि से अधिक नहीं होगी।

25 दुधारू पशुओं की प्रति यूनिट पर पांच वर्षों में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि ₹0 में:-

वर्ष	बैंक लोन	ब्याज (12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से)	किश्त	बैंक को कुल भुगतान	एक यूनिट पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि
प्रथम	2025000	243000	40500	648000	243000
द्वितीय	1620000	194400	40500	599400	194400
तृतीय	1215000	145800	40500	550800	145800
चतुर्थ	810000	97200	40500	502200	97200
पंचम	405000	48600	40500	453600	48600
योग	6075000	729000	202500	2754000	729000

ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक मापदण्ड:-

- योजना का लाभ उन लाभार्थियों को देय होगा जिनका जनपद स्तर पर गठित जिनका चयन समिति द्वारा किया गया है।
- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिये लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को प्रेषित करना होगा।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति के दावे का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा किये जाने पर ही प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है तथा वह किश्त के बकायेदार नहीं है, संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

शासनादेश संख्या- 58/2015/1985/सैंतीस-2-1(67)/12 दिनांक 17 अगस्त, 2015 का संलग्नक :-

मिनीकामधेनु (50 दुधारु पशुओं गाय/भैसों) डेयरी इकाई की लागत एवं 5 वर्षों में ब्याज की प्रतिपूर्ति का आंकलन :-

पूजीगत व्यय:-

A	पशु क्रय पर व्यय	
1-	50 दुधारु पशुओ (साहिवाल/संकर जर्सी/संकर एच0एफ0 गायों/मुरा भैंस की कीमत रु0 70000-00 प्रति पशु की दर से	रु0 3500000.00
2-	पशु बीमा 3 वर्ष हेतु (सघन मिनी डेरी के अनुसार)	रु0 168000.00
3-	पशु यातायात पर व्यय (रु0 4000.00 प्रति पशु की दर से)	रु0 200000.00
	योग	3868000.00
B	पशु आवास (कैंटिल शेड) पर व्यय	
1-	वयस्क पशु हेतु 50 वर्ग फुट प्रति पशु रु0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से (50 पशुओ के लिए)	रु0 500000.00
2-	हीफर शेड/काफ शेड 30 वर्ग फुट प्रति हीफर रु0 200प्रति वर्ग फुट की दर से (50 हीफर के लिए)	रु0 300000.00
3-	फीड गोडाउन पालीहाउस (10 ग 10 वर्ग फुट) रु0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु0 30000.00
4.	मिल्क रूम (10X10 वर्ग फुट)रु0 350.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु0 35000.00
5.	चैफ कटर शेड (10 X 10 वर्ग फुट)रु0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु0 20000.00
6.	कैंटिल क्रस शेड	रु0 20000.00
	योग	रु0 905000.00
C	उपकरण	
1-	जेट समरसेविल पम्प	रु0 50000.00
2-	पावर चैफ कटर	रु0 100000.00
3-	मिल्क केन्स (40 लीटर के 5 दर रु0 2000 प्रति नग एवं 20 लीटर के 6 दर रु0 1500 प्रति नग)	रु0 19000.00
4.	मिल्किंग मशीन-1	रु0 100000.00
5.	मेजरिंग किट-2 एवं मिल्क बकेट-2	रु0 2000.00
6.	कैंटिल कस	रु0 10000.00
7.	अन्य व्यय	रु0 3000.00
	योग	रु0 285000.00
	इकाई की कुल लागत	रु0 5058000.00
	लामार्थी अंश (इकाई लागत का 25 प्रतिशत)	रु0 1264500.00
	बैंक लोन (इकाई लागत का 75 प्रतिशत)	रु0 3793500.00
	अर्थात्	रु0 3794000.00

पाँच वर्षों में प्रति यूनिट ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली अनुदानित धनराशि:-

- 1- 50 दुधारु पशुओं की एक यूनिट स्थापित होने में कुल धनराशि रू0 5058000/- लागत आयेगी। जिसमें लाभार्थी को न्यूनतम 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 1264500/- मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं अधिकतम 75 प्रतिशत धनराशि रू0 3794000/- बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। यदि लाभार्थी 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का ऋण प्राप्त करता है तो योजना लागत के 75 प्रतिशत पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 2- बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति निम्न विवरण अनुसार अनुदान स्वरूप पांच वर्षों (60 माह) में विभाग द्वारा बैंक को दिया जायेगा। यह धनराशि 50 पशुओं की एक यूनिट पर पांच वर्षों (60 माह) में रू0 1365840/- अर्थात् अधिकतम रू0 13.66 लाख होगी। यदि ब्याज दर उक्त से कम है तो देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी लेकिन प्रतिपूर्ति किसी भी दशा में अधिकतम दर्शाई गई धनराशि से अधिक नहीं होगी।

50 दुधारु पशुओं की प्रति यूनिट पर पांच वर्षों में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि रू0 में:-

वर्ष	बैंक लोन	ब्याज(12) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से)	किश्त	बैंक को कुल भुगतान	एक यूनिट पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि
प्रथम	3794000	455280	758800	1214080	455280
द्वितीय	3035200	364224	758800	1123024	364224
तृतीय	2276400	273168	758800	1031968	273168
चतुर्थ	1517600	182112	758800	940912	182112
पंचम	758800	91056	758800	849856	91056
योग	11382000	1365840	3794000	5159840	1365840

ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक मापदण्ड:-

- योजना का लाभ उन लाभार्थियों को देय होगा जिनका जनपद स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया गया है।
- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिये लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को प्रेषित करना होगा।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति के दावे का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा किये जाने पर ही प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है तथा वह किश्त के बकायेदार नहीं है, संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

कामधेनु (100 दुधारु पशुओं गाय/भैसों) डेयरी इकाई की लागत एवं 5 वर्षों में ब्याज की प्रतिपूर्ति का आंकलन :-

पूजीगत व्यय:-

A	पशु क्रय पर व्यय	100 दुधारु पशुओं की यूनिट हेतु
1-	100 दुधारु पशुओं (साहिवाल/संकर जर्सी/संकर एचओएफओ गायों/मुर्रा भैस की कीमत रु0 70000-00 प्रति पशु की दर से	रु0 7000000.00
2-	एक मुर्रा सांड का कय(केवल भैस की यूनिट हेतु) दर रु0 120000.00	रु0 120000.00
3-	पशु बीमा 3 वर्ष हेतु (सघन मिनी डेरी के अनुसार)	रु0 348600.00
4-	पशु यातायात पर व्यय (रु0 4000.00 प्रति पशु की दर से)	रु0 400000.00
	योग	रु0 7868600.00

B	पशु आवास (कैटिल शेड) पर व्यय	100 दुधारु पशुओं की यूनिट हेतु
1-	वयस्क पशु हेतु 50 वर्ग फुट प्रति पशु रु0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से (100 पशुओं के लिए)	रु0 1000000.00
2-	हीफर शेड/काफ शेड 30 वर्ग फुट प्रति हीफर रु0 200 प्रति वर्ग फुट की दर से (100 हीफर के लिए)	रु0 600000.00
3-	बुल शेड(एक मुर्रा सांड हेतु) 120 वर्ग फुट (12x10 वर्ग फुट) रु0 150.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु0 18000.00
4-	फीड गोडाउन पालीहाउस (20 X 15 वर्ग फुट) रु0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु0 60000.00
5-	मिल्क रूम (20 X 15 वर्ग फुट)रु0 350.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु0 105000.00
6-	चैफ कटर शेड (12 X 15 वर्ग फुट) रु0 200.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रु0 36000.00
7-	साइलोपिट(30 X 15 X 4 घन फुट) दर रु0 150 प्रति वर्ग फीट	रु0 270000.00
8-	कैटिल क्रस शेड	रु0 20000.00
	योग	रु0 2109000.00

C	उपकरण	100 दुधारु पशुओं की यूनिट हेतु
1-	जेट समरसेविल पम्प	रु0 50000.00
2-	पावर चैफ कटर	रु0 100000.00
3-	ग्राइन्डर कम फीड मिक्स प्लान्ट	रु0 330000.00
4-	मिल्क केन्स (40 लीटर के 10 दर रु0 2000 प्रति नग एवं 20 लीटर के 5 दर रु0 1500 प्रति नग)	रु0 27500.00
5.	मिल्किंग मशीन-2	रु0 200000.00
6.	मेजरिंग किट-2 एवं मिल्क बकेट-2	रु0 2000.00
7.	कैटिल क्रस	रु0 10000.00
8.	गोबर गैस प्लान्ट विद 10 के0वी0 जनरेटर	रु0 1450000.00
9.	अन्य व्यय	रु0 5000.00
	योग	रु0 2174500.00

इकाई की कुल लागत (A+B+C)	₹ 12152100.00
लाभार्थी अंश (इकाई लागत का 25 प्रतिशत)	₹ 3038025.00
बैंक लोन (इकाई लागत का 75 प्रतिशत)	₹ 9114075.00

पाँच वर्षों में प्रति यूनिट ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली अनुदानित धनराशि:-

- 1- 100 दुधारु पशुओं की एक यूनिट स्थापित होने में कुल धनराशि ₹ 12152100/-लागत आयेगी। जिसमें लाभार्थी को न्यूनतम 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात् ₹ 3038025/-मार्जिन मनी के रूप में स्वयं वहन करना होगा एवं अधिकतम 75 प्रतिशत धनराशि ₹ 9114075/- बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा। यदि लाभार्थी 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का ऋण प्राप्त करता है तो योजना लागत के 75 प्रतिशत पर ही ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 2- बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति निम्न विवरण अनुसार अनुदान स्वरूप पांच वर्षों (60 माह) में विभाग द्वारा की जायेगी। यह धनराशि 100 दुधारु पशुओं की एक यूनिट पर पांच वर्षों (60 माह) में ₹ 3281067/- अर्थात् अधिकतम ₹ 32.82 लाख होगी। यदि ब्याज दर उक्त से कम है तो देय ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी लेकिन प्रतिपूर्ति किसी भी दशा में अधिकतम दर्शाई गई धनराशि से अधिक नहीं होगी।

100 दुधारु पशुओं की प्रति यूनिट पर पांच वर्षों में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि ₹ 0 में:-

वर्ष	बैंक लोन	ब्याज (12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से)	किश्त	बैंक को कुल भुगतान	एक यूनिट पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि
प्रथम	9114075	1093689	1822815	2916504	1093689
द्वितीय	7291260	874951	1822815	2697766	874951
तृतीय	5468445	656213	1822815	2479028	656213
चतुर्थ	3645630	437476	1822815	2260291	437476
पंचम	1822815	218738	1822815	2041553	218738
योग		3281067	9114075	12395142	3281067

ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक मापदण्ड:-

- योजना का लाभ उन लाभार्थियों को देय होगा जिनका जनपद स्तर पर गठित जिनका चयन समिति द्वारा किया गया है।
- बैंक ऋण प्राप्त करने के लिये लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को प्रेषित करना होगा।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति के दावे का सत्यापन संबंधित बैंक द्वारा किये जाने पर ही प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है तथा वह किश्त के बकायेदार नहीं है, संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।